

प्रेषक,

अनिता मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मैनेजिंग ट्रस्टी,
शारदा एजूकेशनल ट्रस्ट,
10, जवाहर नगर, खण्डारी,
आगरा, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2009

विषय:- शारदा एजूकेशनल ट्रस्ट, आगरा द्वारा निजी क्षेत्र में ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश में शारदा विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकार-पत्र।

महोदय,

शारदा एजूकेशनल ट्रस्ट, आगरा द्वारा निजी क्षेत्र में ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश में शारदा विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ के लिए प्राधिकार निर्गत करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2009) की धारा-4 में विहित शार्तों को पूर्ण कर लिये जाने के अन्तर्गत निर्गत करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हुए आलोक में श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए आलोक में श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए शारदा विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकार पत्र निम्न शार्तों के अन्तर्गत निर्गत करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। यह प्राधिकार पत्र शैक्षिक सत्र 2009-10 से मान्य होगा।

- (1) विश्वविद्यालय प्रति वर्ष दो बार (अप्रैल व अक्टूबर में) राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2009) की धारा 40 में प्राविधानित ₹०-१०.०० 2009 की न्यूनतम धनराशि रथाई विन्यास निधि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करोड़ की न्यूनतम धनराशि रथाई विन्यास निधि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रहेगी।
- (2) शारदा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2009) के अन्तर्गत बनायी गयी परिनियमावली में कोई भी संशोधन उक्त अधिनियम के विपरीत नहीं किया जाएगा। यदि किसी संशोधन की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो शासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

भयटीया,

Amrit
(अनिता मिश्र)
विशेष सचिव।